जीवांत लोकतंत्र की ओर

लोकतंत्र में चुनावः

लोकतंत्र एक प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना द्वारा ही काम करता है और ऐसी सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से गठन सामयिक चुनावों के माध्यम से ही हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव द्वारा ही नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इस तरह नेताओं और उनकी पार्टियों को सत्ता में आने की वैधता मिलती है। इसलिए चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है।

भारत ने चुनावी मशीनरी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक उत्कृष्ट प्रणाली विकसित की है जिसमें वैधानिक और प्रशासनिक ढ़ांचे के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। चुनाव संबधी कानूनों अथवा आचरणों को लागू करने के लिए एक समर्पित तंत्र उपलब्ध कराया गया है साथ ही यहां चुनावी विवादों के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका और एक स्वतंत्र मीडिया भी मौजूद है। लेकिन फिर भी चुनाव के दौरान कदाचार, धोखाधड़ी, हिंसा इत्यादि को रोकना संभव नहीं हो पाया है।

एक लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बस उपयुक्त कानूनी ढांचा काफी नही है। कानूनों के साथ सरकार, अन्य राजनीतिक दलों, पुलिस और ज़िला अधिकारियों और चुनाव संबधी अन्य संगठनो को एक साथ जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। चुनावों के दौरान अधिकारी वर्ग और पुलिस को चुनाव आयोग के साथ काम करना होता है। लेकिन यह देखा गया है कि वह कई बार सत्तारूढ़ पार्टी की और झुकान दर्शाते हैं और पक्षपात करते हैं। 2013 में पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनाव में विपक्षी दल 11 प्रतिशत से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़ा नही कर सके थे और प्रचार में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि पुलिस की मिलीभगत में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन्हें डराया और धमकाया था।

राजनीतिक प्रथाओं को बदलने की आवश्कताः

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए प्रगतिशील कानूनों, नियमों और आचार संहिताओं को बनाने में हमारा यह अनुभवी लोकतंत्र बाकी काफी देशों से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन लोकतंत्र के कुछ सार्वभौमिक निधियों के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया बदलनें में अब तक हमें कम सफलता प्राप्त हुई है। विधि नियमों के प्रति सम्मान, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति, संवैधानिक अधिकारियो, संस्थानों, पुलिस व अधिकारी वर्ग की स्वतंत्रता कुछ ऐसे लोकतांत्रिक मूल्य हैं जो कि राजनीतिक दलों की आचरण में परिलक्षित होने चाहिए। जब तक यह सिद्धान्त इन दलों के आचरण में दृश्यमान नही होंगे और इन सिद्धान्तों के उल्लंघन को दंडित नही किया जाएगा तब तक कोई भी विधायी उपाय, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव आश्वस्त नही कर पाएगा।

ऐसा तर्क दिया जाता है कि चुनावी सुधार के लिए बस कानूनी सुधार काफी नही है बल्कि उसके परे जाते हुए राजनीतिक दलों के आचरण व व्यवहार में सुधार की भी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि कितनी ही बार दलों की गतिविधियां हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक चर्चाओं और नागरिक समाज संगठनों द्वारा इस विषय को भिन्न मंचों पर संबोधित किया जाए।

भागोदारो और विचारशील लोकतंत्र की ओरः

73वें और 74वें संविधान संशोधन में परिकल्पित तीन स्तरीय ग्राम पंचायत और नगर पालिका शासन के एक नए प्रकार के संस्थागत व्यवस्था की आशा देते हैं। इनके माध्यम से राज्य की मूल प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार जमीनी स्तर पर न्यायगत किये जा सकते हैं। हाल के दिनों में आम लोगों के मन में पारदर्शिता, जवाबदेही और

स्थानीय लोकतंत्र की मांग मुख्यतः केंद्रीकृत प्रशासन की वजह से फ़ैले पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव में आ रही है।

विशेष रूप से स्थानीय लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रथाओं को नीचे उल्लेखित तरीकों से समृद्ध करता है– **पहला**, नागरिकों के घरो तक सरकार को लाकर शासन प्रणाली को और पारदर्शी और अततः जवाबदेही बनाती है। **दूसरा,** स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधिक सरकार जनता को अपने दिन–प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में भाग लेने का मौका देती है। **तीसरा,** क्योंकि स्थानीय सरकार के राजनीतिक अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों और लोगों का ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, इसलिए उनकी अति आवश्यक ज़रूरतों के प्रति वह ज़्यादा क्रियाशील हो सकते हैं। अन्ततः स्थानीय लोकतंत्र प्रणाली नागरिकों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का सही मायने में उपयोग करने का अवसर देती है। स्थानीय लोकतंत्र सरकारी सेवाओं के प्रावधानों में सुधार करके सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को और कुशल बनाने में सक्षम हैं। सरकार के कुछ कार्य हैं जिसमें स्थानीय ज़रूरतों और परिस्थितियों का ज्ञान और स्थानीय स्तर पर निरीक्षण ज़रूरी होता है। अगर इन कार्यों को स्थानीय स्तर के प्रशासन के अलावा किसी और स्तर को दिया गया तो इससे दक्षता और प्रभाव में कमी महसूस होगी।

इस प्रकार स्थानीय लोकतंत्र राष्ट्रीय और गैर प्रांतीय सरकारों में गैर ज़िम्मेदारी, गैर भागीदारी और गैर जवाबदेही की प्रवृत्ति के खिलाफ एक बांध है। ग्राम संसद, ग्राम सभा, वार्ड सभा, पल्ली सभा आदि जैसी संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र भिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर बहस में आम नागरिकों को संलग्न करके विचारशील लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। यह सारी संस्थाऐं महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर लोगों की आवाज को राजनेताओं और सरकार तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

लोकतंत्र का आंतरिक मूल्य इसमे है कि जाति, धर्म या वर्ग की अपेक्षा किए बिना वह प्रत्येक नागरिक के सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित कर सके। लेकिन लोकतंत्र को सक्षम बनाने के लिए लोकतंत्र की कुछ मांगो को पूरा करना ज़रूरी है। इनमें से एक मांग है स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया। इसके लिए एक तरफ़ यह ज़रूरी है कि उपयुक्त कानूनी ढांचा स्थापित किया जाए और दूसरी तरफ नागरिकों के लिए निगरानी और प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए एक प्रणाली का गठन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी व्यवस्था सही मायनों में काम कर रही है। शासन प्रक्रिया को और अधिक विचारशील और सहभागी बनाना भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसके लिए शासन का विकेन्द्रीकरण ज़रूरी है और इसलिए पंचायतो और नगर पालिकाओं को पारदर्शी, मज़बूत और सहभागी बनाना एक सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।